

राजस्थान सरकार
कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग
कार्यालय निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, जिला उद्योग केन्द्र परिसर, हनुमानगढ जंक्शन

विज्ञापन संख्या-01/2017

दिनांक :- 18.08.2017

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवंसेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 व समय-समय पर संशोधित नियम के अन्तर्गत कार्यालय निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स हनुमानगढ जंक्शन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सीधी भर्ती के 1 पद पर साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार है:-

पदनाम	जिला हनुमानगढ में रिक्त पदों की संख्या	सामान्य		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछडा वर्ग		विशेष पिछडा वर्ग		टीएसपी		सहरिया	
		पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	01	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

आयु:- आवेदक 1 जनवरी, 2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं होना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आयु सीमा में छूट संबंधी प्रावधान लागू होंगी।

पद का वेतनमान:- पी.बी.-1 5200-20200 ग्रेड पे-1700 (2) चयनित अभ्यर्थी को दो वर्ष के प्रोबेशनकाल में 6670/-रूपये प्रतिमाह नियत पारिश्रमिक देय होगा एवं दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

भर्ती हेतु पात्रता:-सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/बोर्ड से न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण।


आवेदन पत्र भेजने का पता एवं आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तिथि:- आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरे हुए व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अन्तिम दिनांक **08.09.2017** को साँय 6.00 बजे तक स्वीकार्य होंगे। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

आवेदन पत्र भेजने का पता:-कार्यालय निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जिला उद्योग केन्द्र परिसर, हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ 335512

चयन का आधार:-साक्षात्कार।(साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा)

* भर्ती हेतु आवश्यक शर्तें, यथा आयु व अन्य से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.rajfab.nic.in एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। उसी के साथ आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

राज्य सरकार उपरोक्त विज्ञापन को कारण बतायेबगैर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।


निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स
हनुमानगढ